NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 03/2022-Central Excise

G.S.R. 491(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R.488(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, after the Table, the following shall be inserted, namely: -

"2. Nothing contained in this notification shall apply to the goods cleared for export."

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 05/2019- Central Excise dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 6th July, 2019, and was last amended by notification No. 02/2021- Central Excise dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 84(E), dated the 1st February, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 492(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (एतश्मिन पश्चात जिसे उत्पाद शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के क भीतर आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के अधीन उस पर उद्गृहीत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है जितना वह उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिकलित रक़म से अधिक है ।

क्र.सं.	**अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**	**दर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	2710	मोटर स्प्रिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है	5 रुपया प्रति लीटर
2.	2710	हाई स्पीड डीज़ल ऑयल	12 रुपया प्रति लीटर

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए माल से भिन्न अन्य किसी माल पर प्रवृत्त नहीं होगी ।

3. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव